



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102023-249102  
CG-DL-E-03102023-249102

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4121]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 3, 2023/आश्विन 11, 1945

No. 4121]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 3, 2023/ASVINA 11, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2023

**का.आ. 4292(अ).**—यतः नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा तथा उसके अनेक स्कंधों (जिसे इसमें इसके पश्चात एनएलएफटी कहा गया है) तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (जिसे इसमें इसके पश्चात एटीटीएफ कहा गया है) का स्पष्ट लक्ष्य, त्रिपुरा के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के सहयोग से और सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से त्रिपुरा को भारत से अलग करके एक अलग राष्ट्र की स्थापना करना तथा ऐसे अलगाव के लिए त्रिपुरा के स्थानीय लोगों को भड़काना है;

और यतः, केन्द्र सरकार का मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ, -

- (i) अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्रोही तथा हिंसक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं और इस प्रकार ये सरकार के प्राधिकार को क्षति पहुंचाते रहे हैं और लोगों में डर एवं आतंक फैलाते रहे हैं;
- (ii) पूर्वोत्तर के अन्य विधिविरुद्ध संगठनों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उनसे घनिष्ठ संबंध बनाए हुए हैं;
- (iii) पिछले कुछ समय से अपने उद्देश्य एवं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, हिंसक तथा विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त रहे हैं जो कि भारत की सम्प्रभुता तथा अखंडता के लिए हानिकारक हैं;
- (iv) नागरिकों तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करते आए हैं;
- (v) त्रिपुरा में व्यवसायियों एवं व्यापारियों सहित जनता से जबरन धन ऐंठने में संलग्न रहें हैं; और
- (vi) सुरक्षित आश्रय, प्रशिक्षण, शस्त्र एवं गोलाबारूद आदि की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए

पड़ोसी देशों में शिविर स्थापित करना तथा उन्हें रखने में संलग्न हैं।

और यतः, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ की उपर्युक्त गतिविधियां भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हैं तथा ये विधिविरुद्ध संगम हैं;

और यतः, केन्द्र सरकार का यह भी मत है कि यदि एनएलएफटी और एटीटीएफ की विधिविरुद्ध गतिविधियों पर तत्काल प्रतिबंध एवं नियंत्रण न लगाया गया तो इन संगठनों को निम्नलिखित कार्यों के करने का अवसर मिल जाएगा; -

- (i) अलगाववादी, विद्रोही एवं हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने काइरों को संगठित करना;
- (ii) भारत की संप्रभुता एवं राष्ट्रीय अखंडता के प्रति वैमनस्य भाव रखने वाली ताकतों के साथ मिलकर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रचार करना;
- (iii) नागरिकों की हत्याएं करने में संलिप्त रहना तथा पुलिस एवं सुरक्षा बलों के कार्मिकों को निशाना बनाना;
- (iv) अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार से अवैध शस्त्र एवं गोलाबारूद प्राप्त करना और लाना; और
- (v) अपनी अवैध गतिविधियों के लिए जनता से जबरन धन ऐंठना तथा बड़ी राशि इकट्ठी करना।

अतः, अब, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) को, इसके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों सहित, तथा ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (एटीटीएफ) को, इसके सभी गुटों, स्कंधों और अग्रणी संगठनों सहित, विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों पर गौर करते हुए, केन्द्र सरकार की यह भी दृढ़ राय है कि एनएलएफटी और एटीटीएफ को, इनके सभी गुटों, स्कंधों तथा अग्रणी संगठनों के साथ, विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह निर्देश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी आदेश के अध्यक्षीन, दिनांक 3 अक्टूबर, 2023 से पांच वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

[फा.सं. 11011/2/2023-एन ई -V]

पियूष गोयल, अपर सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2023

**S.O. 4292(E).**—Whereas the National Liberation Front of Tripura and the various wings thereof (hereinafter referred to as the NLFT) and All Tripura Tiger Force (hereinafter referred to as the ATTF) have, as their professed aim, establishment of an independent nation by secession of Tripura from India through armed struggle in alliance with other armed secessionist organisations of Tripura and to incite indigenous people of Tripura for such secession;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the NLFT and the ATTF have been, -

- (i) engaging in subversive and violent activities, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and violence among the people for achieving their objectives;
- (ii) maintaining close nexus with other unlawful associations of North East with the aim of mobilising their support;
- (iii) in pursuance of their aims and objectives in recent past, engaging in violent and unlawful activities which are prejudicial to the sovereignty and integrity of India;
- (iv) killing civilians and personnel belonging to the police and security forces;
- (v) engaged in extortion of funds from the public including businessmen and traders in Tripura; and
- (vi) establishing and maintaining camps in neighbouring countries for the purpose of safe sanctuary, training, procurement of arms and ammunitions, etc;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that the aforesaid activities of the NLFT and the ATTF are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that they are unlawful associations;

And whereas, the Central Government is also of the opinion that if there is no immediate curb and control of the NLFT and the ATTF they will take the opportunity to, -

- (i) mobilise their cadres for escalating their secessionist, subversive, and violent activities;—
- (ii) propagate anti-national activities in collusion with forces inimical to India's sovereignty and national integrity;
- (iii) indulge in killings of civilians and targeting of the Police and Security Forces personnel;
- (iv) procure and induct illegal arms and ammunitions from across the international border; and
- (v) extort and collect huge funds from the public for their unlawful activities;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government hereby declares the National Liberation Front of Tripura (NLFT) along with all its factions, wings and front organisations and the All Tripura Tiger Force (ATTF) along with all its factions, wings and front organisations as unlawful associations;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of the further opinion that it is necessary to declare the NLFT and the ATTF along with all their factions, wings and front organisations as unlawful associations and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect from 3rd October, 2023 for a period of five years.

[F. No. 11011/02/2023-NE-V]

PIYUSH GOYAL, Addl. Secy.